प्रेषक,   संख्या– 1187 /XXIV–2/2005

एस0के0माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–4   देहरादून:दिनांक 15 दिसम्बर, 2005

विषय– नेशनल कन्या इण्टर कालेज, खानपुर, हरिद्वार हेतु पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अर्थ(मा0)/36701/एक–56/2005–06 दिनांक 14–10–2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल नेशनल कन्या इण्टर कालेज, खानपुर, हरिद्वार को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 मेरठ के पत्र संख्या–क्षे0का0/मा0शि0प0/मान्यता/388 दिनांक 06–07–1999 द्वारा हाईस्कूल स्तर पर इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन)1987 की धारा 7क(क), माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरांचल रामनगर,नैनीताल के पत्र संख्या–क्षे0का0/मा0शि0प0/ मान्यता/85 दिनांक 17–05–2002 द्वारा इण्टरमीडिएट स्तर पर इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987/1921 की धारा 7क(क)/धारा 9(4) द्वारा इण्टरमीडिएट साहित्यिक वर्ग की मान्यता एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरांचल रामनगर,नैनीताल के पत्र संख्या–उ0शि0मा0शि0प0/ मान्यता/रामनगर/979 दिनांक 23–12–2003 द्वारा इण्टरमीडिएट स्तर पर इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1987/1921 की धारा 7क(क)/धारा 9(4) के अन्तर्गत दी गई वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग की मान्यता के क्रम में निम्नवत् 27 अस्थायी पदों को दिनांक 28–02–2006 तक बशर्ते कि ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जायें, के सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र0 स0	पदनाम	वेतनमान(रू0 में)	सृजित होने वाले पदो की संख्या–
1.	प्रधानाचार्य,	10,000–15200	01
2.	प्रवक्ता,	6500–10,500	12

3.	स०अ०, एल०टी०	5500–9000	07
4.	वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	01
5.	सहायक लिपिक	3050–4590	02
6.	दफ्तरी	2610–3540	01
7.	परिचारक	2550–3200	03
	कुल योग		27

2– ऐसे कार्यरत अर्ह कार्मिक जो निर्धारित पद हेतु समस्त वांछित योग्यता रखते हों एवं जो विधिवत/नियमित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित हों, का समायोजन सृजित पदों के सापेक्ष किया जाय। ऐसे अर्ह कार्यरत कार्मिक जो नियमित एवं विधिवत रूप से चयनित न हो, के सम्बन्ध में नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जाय।

3– उक्त पदधारकों को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें। विद्यालय के लिए भूतकाल में निदेशालय स्तर से स्वीकृत/शिक्षणेत्तर पदों तथा इस शासनादेश द्वारा सृजित पद की गणना के आधार पर जनशक्ति के विवरण इस शासनादेश की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर जारी कर दिये जायेगें। इसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–आयोजनागत–110–गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–05–अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सहायता–0501–अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जाना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 117/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 13–12–2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0के0माहेश्वरी)
अपर सचिव।

संख्या- 1187 (1)/ XXIV-2/2005 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उत्तरांचल, देहरादून।
2- निजी सचिव,मा0 मुख्य मंत्री जी।
3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
6- कोषाधिकारी, हरिद्वार।
7- जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
8- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ।
9- एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून।
10- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय,देहरादून।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0के0माहेश्वरी)
अपर सचिव।